जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-24 **दिनांक- 27/07/2024**

थाना कुर्सी पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 02.06.2024 को वादी श्री संजय पुत्र राम स्वरूप यादव निवासी ग्राम रौनाहार मजरे अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 31.05.2024 को समय 03.00 बजे उनका पुत्र विकास उम्र लगभग 18 वर्ष घर से शौच के लिये गया था फिर वापस घर नही आया, उसी दिन परिजनों द्वारा खोजने पर विकास उपरोक्त का शव शाम करीब 06.30 बजे कोल्ड स्टोर के पास जंगल में मिला। शक है कि उनके पुत्र की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया है। उक्त के आधार पर थाना कुर्सी पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर हत्या का सफल अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गये। इसी क्रम में थाना कुर्सी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.07.2024 को हत्याभियुक्त अमरेश कुमार पुत्र पुरई निवासी ग्राम रौनाहार मजरे अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ व साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि मृतक द्वारा अभियुक्त अमरेश कुमार की लड़कियों को अक्सर परेशान करता रहता था तथा अभियुक्त अमरेश द्वारा मृतक विकास को इस संबंध में कई बार समझाया भी गया था उसके बाद भी मृतक अपनी हरकतों से बाज नही आया। दिनांक 31.05.2024 को अभियुक्त ने देखा कि उसकी लड़कियां शौच हेतु जंगल गयी थी और मृतक विकास उन्हें गन्दे इशारे कर जंगल में बुला रहा था जिस कारण अभियुक्त को गुस्सा आया और मृतक विकास उपरोक्त को जंगल में प्रहार कर जान से मार दिया गया। अभियुक्त द्वारा आत्महत्या का रूप देने हेतु अपनी अण्डरवियर से मृतक को एक पेड़ में फंसाकर चला गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अमरेश कुमार पुत्र पुरई निवासी ग्राम रौनाहार मजरे अनवारी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
2. का0 राजेश यादव थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।
3. का0 नितिन कुमार थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।